

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.NO. 1-6/Renewal/2022-23-INC

Dated:-


25 MAY 2023

Notification No-07 of 2023

Sub:- Renewal of suitability of Nursing Educational Institutions for the Academic year 2023-24 reg.

In continuation of the earlier Notification No-4 of 2023 dated 10.02.2023 regarding Renewal of suitability of Nursing Educational Institutions for the Academic Year 2023-24 under Section 13 and 14 of the INC Act 1947. INC has re-opened the renewal applications towards suitability for a period of one month i.e upto 30th June, 2023 with penalty. Application is available under Institute login S.No.1 namely "Application for renewal of suitability 2023-24" in INC website --<https://www.indiannursingcouncil.org/online-application-forms>.

INC shall not accept application after due date and may also take necessary action under Section 13 and 14 of the INC Act, 1947, if required.



Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary

Copy forwarded to:

1. Registrar, All Universities
2. Registrar, All State Nursing Councils
3. Principal, All Schools/Colleges of Nursing
4. INC website

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

एफ संख्या 1-6/नवीकरण/2022-23-आईएनसी

दिनांक: 25 मई 2023

अधिसूचना संख्या 07/2023

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों की उपयुक्तता के नवीनीकरण के संबंध में

भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों की उपयुक्तता के नवीनीकरण के संबंध में पूर्व में दिनांक 10 फरवरी 2023 को जारी अधिसूचना संख्या-04/2023 के क्रम में सूचित किया जाता है कि भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा उपयुक्तता के नवीनीकरण के लिए आवेदन एक महीने की अवधि के लिए यानी 30 जून, 2023 तक के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके लिए जुर्माना देना होगा। आवेदन पत्र, भारतीय उपचर्या परिषद् वेबसाइट <http://www.indiannursingcouncil.org/online-application-forms> पर क्रमांक 1 पर दिए गए संस्थान लॉग-इन अर्थात् "2023-24 के लिए उपयुक्तता के नवीनीकरण हेतु आवेदन" के तहत उपलब्ध है।

निर्धारित तिथि के बाद भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।

भवदीया,

sd/-

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ) सर्वजीत कौर

सचिव

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार
2. सभी राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रार
3. सभी स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रधानाचार्य
4. आईएनसी वेबसाइट